

17.1.18

वकील वादी अनुपस्थित / पारिवारी लक्षणा
 01 के वकील उपस्थित / वकील वादी
 को क्षेत्र पारिवारी की तलबी हेतु
 समस्त तलबाना पेश करने हेतु पत्राचार
 करवा दिये गये है, लेकिन शादी तब तक
 सातकन कादेश की पालना नहीं की जा
 रही है / बलने उत्तीर होता है, कि
 वकील वादी वाउ को कलने प्रस्ताव नहीं
 करते है, कोर न ही काफ़ हाफ़र इन
 को वकील व वादीनी को न्यायालय समस्त की
 समाप्ति एक धुपन 2 समस्त में ही कर कावाके
 तिलवाइ नई। लेकिन वकील व वादीनी में ही कोर
 हाफ़र नहीं होने के कारण वादीनी को वाउ कलने पेशी
 व अउन हाफ़र की खारिज किया जाता है।
 पत्राचारी केवल सुनार केमर कावलीन पदना है।

सहायक कमिश्नर
 (S.D.O.) सिणधरी